



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1933 (श0)  
(सं0 पटना 558) पटना, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2011

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

28 सितम्बर 2011

एस0ओ0 372, दिनांक 29 सितम्बर 2011—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-5 की उप-धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा-(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा-1 के खण्ड-(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 3323, 3324, दिनांक 01 जुलाई 2008 तथा अधिसूचना सं0 4993, 4994, दिनांक 01 अक्टूबर 2008 एवं अन्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ-3 में उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड-(III) के अर्न्तगत होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी होगी।

अनुसूची-1

क्र0

सं0

अनुसूचित नियोजन का नाम

1. कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर
2. अल्मुनियम उधोग
3. खंडसारी उधोग
4. केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग
5. साबुन निर्माण उधोग
6. सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेटेड प्रोडक्ट्स उधोग
7. एस्वेस्टस सिमेंट उधोग
8. ग्लास शीट निर्माण

9. बन्दूक करखाने
10. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
11. पेपर उधोग
12. लौण्ड्रीज एंड वासिंग
13. होजियरी निर्माण
14. सिन्दुर एवं रंग बनाने का उधोग
15. चर्म वस्तु निर्माण
16. उड वर्क्स फर्नीचर
17. आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स
18. पेट्रोल एवं डिजल पम्पस
19. फिशरीज
20. खादी एवं ग्राम उधोग
21. प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी
22. जिल्दसाजी उधोग
23. दफती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड, कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
24. इलेक्ट्रॉनिक्स उधोग
25. सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग
26. प्लाईउड उधोग
27. बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उधोग
28. ढलाई (फाउन्ड्री) उधोग
29. रबड़ एवं कम्पाउंड उधोग
30. बिस्कुट उधोग
31. कोल ब्रिकेट उधोग
32. सिलाई उधोग
33. हैंडलूम उधोग
34. निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स
35. डिस्ट्रीलरीज
36. प्लास्टिक उधोग
37. मिनरल ग्राईडिंग उधोग
38. शीशा उधोग (ग्लास शीट छोड़कर)
39. डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश
40. स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
41. चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं
42. चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल
43. तेल मिल
44. मुद्रणालय
45. किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान
46. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
47. ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले
48. कोल्ड स्टोरेज
49. लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50से कम कामगार नियोजित करने वाले)
50. बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य
51. सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य
52. बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज
53. पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें
54. होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं
55. अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान
56. सिनेमा उद्योग
57. किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान
58. प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी
59. रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग
60. पौट्रीज
61. ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स

62. हार्ड कोक भट्टे
63. कुरियर सेवा
64. चूड़ा मिल
65. इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निशिंग उद्योग
66. अभियंत्रण उद्योग (50से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
67. लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
68. जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य
69. सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दरें
1	2	3
1	अकुशल	144.00 प्रतिदिन
2	अर्द्ध-कुशल	150.00 प्रतिदिन
3	कुशल	183.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	223.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	4134.00 प्रतिमाह

टिप्पणी :- (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 4120.07 बिन्दु जो वर्ष, 2010 के द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) का औसत है एवं दिनांक 16 सितम्बर 2011 को सम्पन्न न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार यह पुनरीक्षण वर्ष, 2011 के प्रथम अर्द्धांश (जनवरी-जून) के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4260.83 बिन्दु पर वृद्धि 4.81 प्रतिशत के समायोजन पर आधारित है, जो कि 15 प्रतिशत वृद्धि के अन्तर्गत है। अगली परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की गणना वर्ष, 2011 के द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा।

(ख) दिनांक 16 सितम्बर 2011 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 100 प्रतिशत शून्यीकरण के अतिरिक्त 15 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम मजदूरी की दर पुनरीक्षित किया गया है।

(ग) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपान्तरण क्रमशः मासिक मजदूरी की दरों में 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों में 26 से गुणा करके किया जाएगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ङ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करनेवाला कर्मचारी बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(च) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

स्पष्टीकरण :- (क) "अकुशल काम" से अभिप्रेत है जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी नहीं कुशलता या अनुभव की आवश्यकता होती है बल्कि वह बहुत ही साधारण प्रकृति का होता है।

(ख) "अर्द्ध-कुशल काम" से अभिप्रेत है वह काम जिसमें काम के अनुभव के आधार पर कुछ डिग्री या कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है तथा इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षण का काम भी है।

(ग) "कुशल काम" से अभिप्रेत है जिसमें कोई कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीक या किसी व्यवसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके सम्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है।

(घ) "अतिकुशल काम" से अभिप्रेत है वह काम जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्तियाँ की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन के लिए कामगारों में विशेष या विनिश्चयों के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है।

(सं० 5/एम०डब्लू०-403/07 श्र०सं०-2778)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गरीब साहु,

सरकार के अपर सचिव।

28 सितम्बर 2011

एस0ओ0 373, एस0ओ0 372, दिनांक 29 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-2779)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गरीब साहु,  
सरकार के अपर सचिव।

*The 28<sup>th</sup> September 2011*

S.O. 372, dated 29<sup>th</sup> September 2011—In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section- 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section- 2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no. 3323, 3324, dated 01<sup>st</sup> July 2008 and notification no. 4993, 4994, dated 01<sup>st</sup> October 2008 and others for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns- 3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column- 2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said employment.

2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.

3. This notification shall come into force with effect from the date of 01 October, 2011.

**Schedule-1**

Sl. No. Name of Scheduled Employment

1. Co-operative Sector
2. Aluminum Industry
3. Khandsari industry
4. Chemical and Pharmaceutical Industry
5. Soap Making Industry
6. Cement Pre - stressed product Industry
7. Asbestos Cement Industry
8. GlassSheet Industry
9. Gun factories
10. Religious & Social Institution
11. Paper Industry
12. Laundry & washing
13. Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw
14. Manufacture of Sindur & Rang
15. Manufacture of Leather good
16. Wood works & furniture
17. Ice Cream and Cold Drinks
18. Petrol and Diesel Pump
19. Fisheries
20. Khadi and Village Industries
21. Private Ferries & LTC
22. Book binding Industry

23. Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.
24. Electronics Industry
25. Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry
26. Plywood Industries
27. Electric and other type of Bulbs and Florence tubes
28. Foundry Industries
29. Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture
30. Biscuit Industry
31. Coal briquette Industry
32. Tailoring Industry
33. Handloom Industry
34. Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic
35. Distilleries
36. Plastic Industries
37. Mineral Grinding Industry
38. Glass Industries (excluding glass sheet)
39. Dairies and Poultry Farms
40. Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.
41. Tanneries Leather Technology
42. Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills
43. Oil Mills
44. Printing Press
45. Any Shops and establishment
46. Public Motor Transport
47. Any woolen carpet making or shawl weaving establishment.
48. Coal Storage
49. Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)
50. Dam Construction & Irrigation
51. Construction or Manufactory of Road or in Building Construction
52. Bakeries and Confectioneries
53. Shops selling cooked food stuff
54. Hotels Eating House and Restaurants.
55. Mica work( Factory & Establishment excluding Mine)
56. Cinema industry
57. Any University, Educational, Research or cultural institutions.
58. Private Security
59. Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry
60. Potteries
- 61.. Automobile Engineering Shops
62. Hard Coke Industry
63. Currier Service
64. Frittered Rice
65. Electro Casting and Metal Furnishing
66. Engineering Industries ( Employment more than 50 workers )
67. Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc.,works
68. Jute Industry & Similar works
69. Information Technology.

## Schedule-II

Sl No.	Categories of Workers	Rates of Minimum Wage
1	2	3
1	Unskilled	144.00 per day
2	Semi-skilled	150.00 per day
3	Skilled	183.00 per day
4	Highly Skilled	223.00 per day
5	Supervisory/Clerical	4134.00 per month

*Note:*—(a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 4120.07 point which is the average of the indices of the Second half of the year, 2010 (July-December) and as per decision taken in the meeting of the Minimum Wages Advisory Board held on dated 16<sup>th</sup> September 2011, this revision includes the average of first half of All India Consumer Price Index of year, 2011 i.e 4260.83 point, increase i.e 4.81 percent in the wage hike of 15 percent. Next Variable Dearness Allowance will be applicable on the average of All India Consumer Price Index of second half (July-December) of the year, 2011.

(b) Minimum rates of wages has been revised on the suggestions made by the Minimum Wage Advisory Board on 16<sup>th</sup> September 2011 by adding 15 percent of wages additional after 100 percent neutralization of consumer price index.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The Minimum rates of wages above are inclusive of the remuneration payable to the workers in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) A worker shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature of work.

*Explanation :-*

(a) "Unskilled work" means work which involve simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being

performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers.

(c) "Skilled works" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

(d) "Highly Skilled" work means work which call for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for long years and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.

(No. 5/M.W-403/07 L & R —2778 )

By order of the Governor of Bihar,

GARIB SAHU,

*Additional Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 558-571+150-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>